

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर  
(पीठासीन अधिकारी श्री वीरमा राम, आरएएस)  
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा -2025

क्रमांक: राजस्व/2025/6162

राजस्व आवेदन संख्या :- 579/25

दिनांक :- 17.07.25

—: आदेश :-

प्रार्थी के 'खाता दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कवास व उप तसहीलदार चवा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम काऊ का खेड़ा तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 में खाता संख्या 21 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	काऊ का खेड़ा	नया 21 पुराना 13	671/99	कमलादेवी पत्नी बाबूलाल	कमलादेवी पत्नी बाबूलाल उर्फ चनणाराम



(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर

दिनांक :- 17.07.25

क्रमांक: राजस्व/2025/6163-65

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थनी कमलादेवी पत्नी बाबूलाल उर्फ चनणाराम, निवासी काऊ का खेड़ा, कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।



पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी

बाड़मेर